एकता!

संघर्ष!!

विजय!!!

उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन
UTTARAKHAND STATE TAX MINISTERIAL STAFF ASSOCIATION

(शासनादेश संख्या – 2152/वि0 अनु05/ व्या0क0/2002 दिनांक 17-10-2002 द्वारा मान्यता प्राप्त)

जगमोहन सिंह नेगी
प्रदेश अध्यक्ष
मो0 9870620781
निवास: 3/1 राजीव नगर, पो0 नेहरूग्राम दे0दून

भरत सिंह राणा
संरक्षक
मो0 7351047831

इन्द्रजीत सिंह
प्रदेश महामंत्री
मो0 9927202263
निवास: नियर रिलाईन्स टावर सोसाइटी रोड लकसर

प्रान्तीय सलाहकार :- हरक सिंह मेटवाल, हल्द्वानी
मो0 7055380365

मनमोहन सिंह नेगी, मुख्यालय
मो0 9258384767

अरविन्द जोशी, काशीपुर
मो0 9917176836

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
विशाल अग्रवाल
रूद्रपुर मो0 9756264671

उपाध्यक्ष
उमेश सिंह बिष्ट
हल्द्वानी मो0 9997198406

संयुक्त मंत्री
रविन्द्र कुमार सैनी
विकासनगर मो0 9897728066

संगठन मंत्री
सुरेश चन्द शर्मा
देहरादून मो0 9634973646

प्रदेश प्रवक्ता
सुनील कुमार
मुख्यालय मो0 9690435754

संजय उपाध्याय
रूद्रपुर मो0 9917076988

अरूण शर्मा
रूड़की मो0 9837384088

सचिन सैनी
हरिद्वार मो0 8958330424

आडीटर
शैलेन्द्र कुमार
काशीपुर मो0 7906314148

कोषाध्यक्ष
बलवंत सिंह राणा
ऋषिकेश मो0 6398908191

प्रान्तीय मंत्री
सोनू
विकासनगर मो0 9411510911

अंकित कुमार
देहरादून मो0 8218734687

गय्यूर
काशीपुर मो0 9756777206

अमिता सिंह
हल्द्वानी मो0 9568260878

पत्रांक 12(V1)   दिनांक 21-06-24

सेवा में,

आयुक्त राज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

विषयः राज्य कर विभाग के नवीन/उच्चीकृत ढांचे में राज्य कर अधिकारी के पदों में कटौति /समाप्ति न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में जीएसटी लागू होने के पश्चात विभाग के पुनर्गठन हेतु वर्तमान में अधिकारियों का ढांचा राज्य कर, मुख्यालय द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, जिस पर वर्तमान में कार्यवाही शासन पर चल रही है।

उक्त के सम्बन्ध में संगठन के संज्ञान में आया है कि उक्त ढांचें में राज्य कर अधिकारियों के पदों में कटौती/समाप्ति किये जाने की सम्भावना है/की जा रही है।

महोदय, तृतीय श्रेणी कार्मिकों की लम्बी सर्विस के बाद पदोन्नति तृतीय श्रेणी से राज्य कर अधिकारी के पद पर होती है, जो कि राज्य के मूल निवासी होते हैं, यदि यह अवसर भी कर्मचारियों से छीन लिया जायेगा, तो कर्मचारी खाली हाथ ही रह जायेंगें और यह कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात होगा, जिससे कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न होना अवश्यमभावी है।

महोदय यदि संगठन के विरोध के बाद भी वर्तमान में राज्य कर अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से एक की भी कटौती की जाती है, तो संगठन कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिय आंदोलन हेतु बाध्य होगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य कर, मुख्यालय एवं उत्तराखण्ड शासन का होगा।

अतः संगठन आपसे निवेदन करता है कि राज्य कर अधिकारी के पदों पर किसी भी रूप में कोई कटौती न की जाये, जिसके लिये संगठन आपका आभारी रहेगा।

आदर सहित।

भवदीय,

(इन्द्रजीत सिंह)
महामंत्री

भवदीय,

(जगमोहन सिंह नेगी)
प्रदेश अध्यक्ष